<u>न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 18 / 2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

सचिव / सरपंच, ग्राम पंचायत, बोहत, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राजस्थान) (अप्रार्थी)

<u>रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

2. श्री नन्दकिशोर गुर्जर, अभिभाषक (अप्रार्थी)

<u>आदेश दिनांक– 22.04.2021</u>

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थी के खाते विवादित आराजी ख0नं0 1650 रकबा 1.45 है., 2761 रकबा 0.98 है. किस्म नहरी वाके ग्राम बोहत तहसील–मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 1278 रकबा 9 बीधा तथा 1869 रकबा 6 बीधा रहे है, जिसके सम्वत् 2044–62 जमाबन्दी में गैर खातेदार ग्राम पंचायत बोहत तहसील–मांगरोल के गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1278 रकबा 9 बीधा तथा 1869 रकबा 6 बीधा सेटलमेंट बन्दोबस्त सम्वत् 2014–23 में गै.मु.तलाई दर्ज है। जिसका आवंटन / नियमन अप्रार्थी को किया गया है। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन / नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536 / 2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन / नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 [illegible] संख्या 1536 / 03 प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन / नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:06:20 IST
Reason: SelfAttested

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सचिव ग्राम पंचायत बोहत तहसील—मांगरोल की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये तथा जवाब हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 16.05.2019 को जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3— हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार सरकार व विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी गयी।

4— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत, बोहत तहसील—मांगरोल को ग्राम बोहत की आराजी साबिक खसरा नम्बर 1278 रकबा 9 बीघा तथा खसरा नम्बर 1869 रकबा 6 बीघा किस्म गै.मु.तलाई में से भूमि आवंटित हुयी थी। जिस वक्त भूमि आवंटित हुयी है उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 1650 रकबा 1.45 है0 तथा ख0नं0 2761 रकबा 0.98 है0 बने है जो वर्तमान में अप्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज है। जिसकी किस्म नहरी I दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन／नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आंवटन／नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536／03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.खाल दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

5— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी को उक्त आराजी आवंटित हुई थी। वक्त आवंटन उक्त आराजी काबिल काश्त थी इस कारण उक्त आराजी आवंटित की गयी थी तथा तत्समय मौके पर दखल भी दिया गया था। इसलिये पेरोकार सरकार का यह कहना कि वक्त आवंटन उक्त आराजी गै.मु.तलाई थी। पूर्णतया निराधार है। राजस्व रेकार्ड में यदि गै.मु.तलाई दर्ज है तो रेकार्ड दुरूस्ती का मामला बनता है। उक्त आ[illegible] अप्रार्थी आवंटन पश्चात् से बदस्तूर काबिज काश्त हैं। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट [illegible] ख0नं0 1650 रकबा 1.45 है0 तथा 2761 रकबा 0.98 है. बने है जो वर्तमान में सम्वत 2069—72 जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:06:20 IST
Reason: SelfAttested

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार, मांगरोल द्वारा 65 वर्ष पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आवंटन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाहीं प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी को उक्त आराजीयात् का विधि सम्मत व प्रकिया के तहत आवंटन हुआ है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिये रेफरेन्स प्रार्थनापत्र निरस्त फरमाया जावे।

6– हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2014–23 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1278 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 1869 रकबा 6 बीघा किस्म गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका अप्रार्थी ग्राम पंचायत बोहत तहसील–मांगरोल को आवंटन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 1650 रकबा 1.45 है0 तथा 2761 रकबा 0.98 है. बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी को जिस वक्त भूमि आवंटित की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन नियम विरूद्व हुआ है।

7– अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 1278 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 1869 रकबा 6 बीघा सेटलमेंट पूर्व सम्वत 2014–23 में किस्म गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज थी। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 1650 रकबा 1.45 है0 तथा 2761 रकबा 0.98 है. किस्म नहरी I बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु. तलाई दर्ज थी जिसका आवंटन अप्रार्थी को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

8– परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के वर्तमान में वाके ग्राम बोहत में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1650 रकबा 1.45 है0 तथा 2761 रकबा 0.98 है. किस्म नहरी I, जो [illegible] से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 1278 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 1869 रकबा 6 बीघा किस्म गै.मु. तलाई से बना है जिसका अप्रार्थी को गलत रूप से आवंटन [illegible] है, आवंटन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:06:20 IST
Reason: SelfAttested

अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

9— तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1650 रकबा 1.45 है0 तथा 2761 रकबा 0.98 है. किस्म नहरी I वाके ग्राम बोहत तहसील—मांगरोल की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण व खुर्द—बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 22.04.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:06:20 IST
Reason: SelfAttested